पूर्व गृहमंत्री का एसपी ऑफिस में धरना, पुलिस व्यवस्था पर सवाल

- मीसाबंदी के प्लॉट पर कब्जे को लेकर भड़के कोठारी, एसपी चेंबर के बाहर जमीन पर बैठे
- बोले... 'सुनवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन करूंगा'

नवभारत न्यूज

रतलाम। शहर की कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली पर बुधवार को उस समय बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जब प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री हिम्मत कोठारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। मामला एक वृद्ध मीसाबंदी के प्लॉट पर कथित अवैध कब्जे से जुड़ा है, जिसमें लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर कोठारी का गुस्सा फूट पड़ा।

दोपहर में एसपी ऑफिस पहुंचे हिम्मत कोठारी सीधे पुलिस अधीक्षक के चेंबर के बाहर जमीन पर बैठ गए। उनका आरोप था कि दीनदयाल नगर थाना पुलिस को कई बार आवेदन देने और सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद मामले को 'सिविल विवाद' बताकर टाल दिया गया, जबकि यह साफ तौर पर कब्जे और धोखाधड़ी का आपराधिक मामला है।

बताया जा रहा है कि यह विवाद कोठारी के बचपन के मित्र और मीसाबंदी बसंत पुरोहित के परिवार से जुड़ा है। फरियादी शरद पुरोहित ने प्लॉट पर अवैध कब्जे की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर पूर्व गृहमंत्री पांच दिन पहले भी एसपी अमित कुमार से मिले थे, लेकिन समाधान नहीं निकलने पर बुधवार को उन्होंने धरने का रास्ता चुना।

धरने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार स्वयं चेंबर से बाहर आए और हिम्मत कोठारी को अपने साथ कार्यालय में ले गए। इसके बाद उन्होंने दीनदयाल नगर थाना प्रभारी को तत्काल तलब कर नाराजगी जताई और कब्जे के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

मीडिया से चर्चा में हिम्मत कोठारी ने कहा कि 'यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि आम जनता के न्याय का सवाल है। यदि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होगी तो अराजकता फैल जाएगी।' उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो पार्टी से अनुमति लेकर आमरण अनशन करेंगे, और अनुमति नहीं मिलने पर भी जनता की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे।

इधर एसपी अमित कुमार ने बताया कि फरियादी शरद पिता वसंत पुरोहित, निवासी सुभाष मार्ग धानमंडी की शिकायत पर दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने यह भी माना कि मामले में लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते दीनदयाल नगर थाना प्रभारी के खिलाफ प्राथमिक जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।

एसपी ने स्पष्ट किया कि आमजन की शिकायतों पर समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमि संबंधी विवादों के त्वरित निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आगामी सात दिनों तक विशेष शिविर लगाने की घोषणा भी की गई है। इसमें जिलेभर के लोग अपनी भूमि संबंधी शिकायतें और दस्तावेज लेकर पहुंच सकेंगे।

भूमि विवाद में पुलिस हरकत में, प्रकरण दर्ज

भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना डीडी नगर में प्रकरण दर्ज करवाया है। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी के विरुद्ध प्रारंभिक जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। फरियादी शरद पुरोहित निवासी सुभाष मार्ग धानमंडी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि डीडी नगर क्षेत्र स्थित उनके स्वामित्व वाले प्लॉट क्रमांक 237 एवं 238 पर आरोपी कमलेश टॉक और राजेश टॉक द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। शिकायत के अनुसार आरोपी प्लॉट पर वाहन खड़े करते हैं तथा विरोध करने पर धमकी और विवाद करते हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीडी नगर थाना में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

7 दिन चलेगा भूमि विवाद समाधान शिविर

भूमि संबंधी शिकायतों और विवादों के त्वरित निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में आगामी सात दिनों तक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। जिलेभर के फरियादी अपने दस्तावेजों के साथ पहुंचकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिविर में प्राप्त मामलों की जांच कर त्वरित वैधानिक कार्रवाई और आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।

एक नजर में

छात्रा का पीछा करने और ऑनलाइन गिफ्ट भेजकर परेशान करने वाले युवक पर केस दर्ज

इंदौर. संयोगितागंज इलाके में एक मेडिकल छात्रा को एक युवक से जान-पहचान बढ़ाना भारी पड़ गया. युवक ने दोस्ती की आड़ में युवती की प्राइवेसी और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया. पुलिस के अनुसार, घटना एमवाय अस्पताल परिसर और आसपास के कॉलेज इलाके की है. फिजियोथेरेपी की पढाई कर रही 22 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब चार महीने पहले एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उसकी बातचीत उत्कर्ष कुमार पिता अरविंद कुमार निवासी चित्रकूट नगर, बिहार से हुई थी. शुरुआती बातचीत के बाद दोनों सामान्य दोस्त की तरह मिलने-जुलने लगे .दोस्ती के कुछ ही समय बाद उत्कर्ष ने अपनी हदें पार करना शुरू कर दिया. उसने पीड़िता की इच्छा के बगैर उसके घर और कॉलेज के पते पर ऑनलाइन गिफ्ट्स भेजने शुरू कर दिए. हद तो तब हो गई जब वह युवती को बिना बताए और बिना उसकी मर्जी के उसके घर के बाहर तथा कॉलेज के गेट पर आकर गुपचुप तरीके से खड़ा होने लगा. आरोपी की इस संदिग्ध गतिविधियों और दखलअंदाजी से परेशान होकर छात्रा ने उससे साफ कह दिया कि वह अब आगे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती. दोस्ती तोड़ने से बौखलाए उत्कर्ष कुमार सिंह ने डिजिटल तौर पर पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पीड़िता के नाम से एक फर्जी प्रोफाइल बनाई और उस पर छात्रा की निजी तस्वीरें पोस्ट कर दीं. जब पीड़िता को अपनी इस फर्जी आईडी का पता चला, तो उसने उत्कर्ष से संपर्क कर कड़ी आपत्ति जताई और तस्वीरें हटाने को कहा, लेकिन आरोपी ने उसकी एक न सुनी. वह लगातार फोन कॉल्स और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए युवती का पीछा कर धमकाने लगा .परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों के साथ संयोगितागंज थाने पहुँचकर अपनी आपबीती सुनाई. पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी उत्कर्ष कुमार सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

दो युवतियों को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दो अलग-अलग केस दर्ज

नव भारत न्यूज,इंदौर. खजराना और किशनगंज थाना क्षेत्रों में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं. खजराना क्षेत्र में एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर तीन साल तक दुष्कर्म करता रहा फिर मुकर गया. वहीं किशनगंज थाना क्षेत्र में भी एक युवती को शादी का झांसा देकर एक युवक लंबे समय तक दुष्कर्म करता रहा, बाद में मुकर गया और बोला- मैं तो टाइम पास कर रहा था. युवतियों की शिकायत पर दोनों थाना की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है .पहला मामला खजराना थाने का है, जहां एक निजी कंपनी में कार्यरत युवती ने ऐलेंद्र राजपूत नामक युवक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता ने बताया कि करीब तीन साल पहले उसकी आरोपी से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे साथ घूमने-फिरने लगे. युवती ने पुलिस को बताया कि 12 मई 2024 को आरोपी उसे न्याय नगर स्थित अपने एक दोस्त के घर ले गया, जहां उसका दोस्त मौजूद नहीं था. इसी दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने कई बार युवती के साथ संबंध बनाए. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब भी वह शादी की बात करती थी, आरोपी उसे पढ़ाई पूरी होने और नौकरी लगने के बाद शादी करने का भरोसा देता था. युवती के अनुसार, 27 अप्रैल 2026 को आरोपी ने उसे फिर मिलने बुलाया और संबंध बनाए. इस दौरान जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी ने उसे धमकाते हुए इस विषय पर बात न करने को कहा. आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और युवती का नंबर भी ब्लॉक कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. खजराना थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

आरोपी बोला... मैं तो टाइम पास कर रहा था

इधर, दूसरा मामला किशनगंज थाना अंतर्गत पिगडंबर इलाके का है. यहां 26 वर्षीय पीड़िता ने थाने पहुंचकर आरोपी रंजीत यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी रंजीत ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और जल्द ही शादी करने का वादा किया था. इस भरोसे के बाद आरोपी लगातार शादी के वादे की आड़ में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. जब पीड़िता ने रंजीत पर शादी करने और अपने वादे को पूरा करने का दबाव बनाया, तो आरोपी का असली चेहरा सामने आ गया.

ट्विशा मौत के मामले में सीबीआई जांच का आश्वासन

- मुख्यमंत्री मोहन से मिले ट्विशा शर्मा के पिता

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 20 मई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनके पिता नवनिधि शर्मा ने मुलाकात की. बुधवार को इस मुलाकत के दौरान ट्विशा के मामले में रिटायर्ड सैनिक भी नवनिधि शर्मा के साथ रहे. इस मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने ट्वीशा की मौत के मामले में सीबीआई जांच कराने का आश्वासन दिया है.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि ट्विशा के पार्थिव शरीर के दुबारा पीएम कराने को लेकर कोर्ट से निर्देश मिलने पर प्रदेश सरकार दिल्ली एम्स में पीएम कराने के लिए व्यवस्था करेगी. मुख्यमंत्री यादव से मिलकर ट्विशा के पिता ने सास की जमानत रद्द कराने के आवेदन संबंधी विषय पर चर्चा की. मुख्यमंत्री मोहन ने नवनिधि शर्मा को कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया है.

ट्विशा के शव के दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग के मामले में सुनाई करते हुए भोपाल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. शव को एयर कंडीशनर वाले मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखा जाने का निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है. परिजनों के शव नहीं लेने पर ऐसी स्थिति में डीकंपोज होने से बचाया जा सकता है. ट्विशा की मौत के 8 दिन बाद भी परिजनों ने शव नहीं लिया है और लगातार मामले में सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक ट्विशा की मौत के मामले राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है. मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने प्रदेश सरकार से सात दिन में रिपोर्ट मांगी है. जानकारी के अनुसार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते ट्विशा की शादी केवल 5 महीने में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर सवाल किया है. ट्विशा के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पर दहेज उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने राज्यपाल से रिटायर्ड जज और ट्विशा के ससुर गिरिबाला सिंह को कंज्यूमर फोरम के पद से हटाने के लिए पत्र लिखा है. नवनिधि शर्मा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मामले में कार्यवाही की मांग की है.

मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अगली बैठक उज्जैन में होगी

- अनौपचारिक कैबिनेट में सीएम ने दी जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 20 मई. मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अगली बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन में होगी. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 मई को बस्तर में परिषद् की 26वीं बैठक में इस आशय की सहमति दे दी है.

इस बात का खुलासा बुधवार को मंत्रालय में अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. इस दौरान सीएम ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक लेने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री शाह उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारी को लेकर हो रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबन्धन एवं आपदा प्रबंधन का भी मुआयना करेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मप्र नक्सल मुक्त हो चुका है. केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद् की 26वीं बैठक बस्तर में करके देश में नक्सलवाद की समाप्ति का जन संदेश दिया है. उज्जैन में परिषद की 27वीं बैठक होगी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह द्वारा पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव सहित नक्सल उन्मूलन अभियान में सक्रिय योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है.

ऑन ड्यूटी स्टॉफ से मारपीट का आरोप

रतलाम। जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी ट्रायज वार्ड में ऑन ड्यूटी स्टाफ के साथ मारपीट, गाली-गलौज और धमकाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्टेशन रोड थाना पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार घटना 18 मई की रात करीब 1 बजे से 1.30 बजे के बीच जिला चिकित्सालय रतलाम के इमरजेंसी ट्रायज वार्ड में हुई। फरियादी संघशरण सगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मरीज सुहानीबाई के परिजन, निवासी हाट की चौकी रतलाम ने अस्पताल में हंगामा करते हुए ऑन ड्यूटी स्टाफ के साथ मारपीट की, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई तथा गाली-गलौज और धमकी दी। पुलिस के अनुसार मामले में शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफमध्यप्रदेश चिकित्सक एवं चिकित्सा से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध क्र. 382/26 दर्ज किया.

फर्जी जमानतदार से बेटे को छुड़ाया, अब मां पर केस दर्ज

नकबजनी के आरोपी की रिहाई में जाली दस्तावेज का इस्तेमाल, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

नव भारत न्यूज

इंदौर. नकबजनी के आरोपी को फर्जी जमानतदार पेश कर जेल से छुड़वाना उसकी मां को महंगा पड़ गया. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी की मां कमलाबाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. अब उसे खुद जमानत के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, जबकि उसका बेटा पहले से जेल में बंद है.

मामला छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में दर्ज नकबजनी और चोरी के केस से जुड़ा है, जिसमें संदीप उर्फ काला पिता राजू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

बेटे को छुड़ाने के लिए उसकी मां कमलाबाई निवासी गांधीनगर ने साजिश रची और फर्जी जमानतदार कोर्ट में पेश कराया. 30 जून 2025 को चंदन शर्मा निवासी सिरपुर को सांवेर तहसील का किसान चंदनसिंह बनाकर कोर्ट में पेश किया, जहां उसने जाली पहचान पत्र और दस्तावेजों के आधार पर संदीप की जमानत करवा दी. इसकी जानकारी असली किसान चंदनसिंह को लगी तो उसने एडवोकेट राजेंद्र कचोलिया के माध्यम से रेलवे के स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की. कोर्ट ने मामले में पुलिस से जांच रिपोर्ट तलब की थी.

पुलिस जांच में सामने आया कि जमानत देने वाला चंदन शर्मा ही था, जिसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. हालांकि जांच के दौरान यह भी पता चला कि चंदन शर्मा की 6 मार्च 2026 को मौत हो चुकी है, जिसके चलते उस पर आपराधिक कार्रवाई संभव नहीं रही. शिकायतकर्ता पक्ष ने पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की, जिसमें बताया गया कि चंदन शर्मा को खुद आरोपी की मां कमलाबाई और अन्य लोग कोर्ट लेकर आए थे.

सुनवाई के बाद स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट नदीम जावेद खान ने पाया कि कमलाबाई ने ही जमानतदार की पहचान चंदनसिंह के रूप में कराई थी और शपथपत्र भी प्रस्तुत किया था. इसके आधार पर कोर्ट ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर एमजी रोड थाना पुलिस ने कमलाबाई के खिलाफ केस दर्ज किया है.

संदीप पर दर्ज हैं आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संदीप उर्फ काला के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह फिलहाल सेंट्रल जेल में बंद है. इसी साल उसने रावजी बाजार क्षेत्र में भी नकबजनी की वारदात की थी. इधर फर्जी जमानतदार चंदन शर्मा की मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसका शव छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में शासकीय नवीन मालव कन्या विद्यालय के बाहर मिला था. मामले में मर्ग कायम कर जांच की गई थी. पुलिस अब यह भी खंगाल रही है कि उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या इस पूरे मामले से उसका कोई सीधा संबंध था.

लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रिश्वत लेते दबोचा

ग्वालियर /भिंड. लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर ने आज भिंड जिले के ग्राम तुकेंडा हल्का के पटवारी हिमांशु तोमर को 6 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये दबोचा है.

पटवारी तोमर ने ग्रामीण रामखिलाडी चौहान से उनकी जमीन का सीमांकन करने के एवज में 10 हजार की मांग की थी. जिसका सौदा दोनों के बीच 8 हजार रूपये में तय हुआ था. बताया जाता है कि ग्रामीण ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस को की थी, जिसके आधार पर आज जैसे ही पटवारी हिमांशु तोमर को 6 हजार रूपये रिश्वत के रूप में मालनपुर के पास नहर की पुलिया के बाई तरफ दिए तो लोकायुक्त पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया. लेकायुक्त पुलिस अधीक्षक निरंजनलाल शर्मा ने बताया कि कार्रवाई जारी है.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री उमेश निगवाल, श्रीमती जयंती निगवाल, निगवाल डेयरी फार्म (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10424849)	पटवारी हल्का संख्या 10 का वह पूरा भूखंड, क्षेत्रफल 1550 वर्ग फुट, ग्राम- बड़गांव, अंजड, तहसील और जिला-बड़वानी, मध्य प्रदेश, पिन संख्या 451447 में स्थित. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र: 1550.00, 600.00, 750.00	रुपये 539841/- (रु. पांच लाख उन्चालीस हजार आठ सौ इकतालीस मात्र)	24/10/ 2025	15/05/ 2026
श्री राकेश मुजलदे, श्रीमती गंगा मुजलदे (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10356808)	पटवारी हल्का संख्या 9, खसरा संख्या 69, उज्वानी, अंजड़, बड़वानी, मध्य प्रदेश -451551 की वह संपत्ति. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल: 2025.00, 1575.00, 1260.00	रुपये 477918/- (रु. चार लाख सतहत्तर हजार नौ सौ अट्ठारह मात्र)	18/10/ 2025	15/05/ 2026
श्री दिलीप पटेल, श्रीमती सुभद्रा बाई, निर्मल डेयरी फार्म (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10421900)	01, मकान संख्या 128, वार्ड संख्या 05, बागलिया अवार, सिंगोट, शिंगा जी मंदिर, खंडवा, मध्य प्रदेश, भारत, 450881 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 513.00 वर्ग फुट, 506.00 वर्ग फुट.	रुपये 303826/- (रु. तीन लाख तीन हजार आठ सौ छब्बीस मात्र)	09/01/ 2026	15/05/ 2026
श्री मुकेश अस्त्रे, श्रीमती बंशी बाई अस्त्रे, कृषि फार्म एंड डेयरी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10509235)	पटवारी हल्का नं. 58 की वह पूरी जमीन, क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट, ग्राम जमथी, तहसील पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश 450117. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 450	रुपये 227974/- (रु. दो लाख सत्ताइस हजार नौ सौ चौहत्तर मात्र)	05/01/ 2026	15/05/ 2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड, इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश/या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 21-5-2026 प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

मंत्री टेटवाल और पंवार ई- रिक्शा से पहुंचे मंत्रालय

प्रशासनिक संवाददाता. भोपाल, 20 मई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों से किए गए ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान को आत्मसात करते हुए, बुधवार को कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पंवार कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए ई-रिक्शा से मंत्रालय पहुंचे. सुरक्षित पर्यावरण का यही आधार-ईंधन बचत हर बार, का संदेश देते राज्यमंत्री टेटवाल कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसाधनों के संयमित उपयोग का जो आह्वान किया है, उसे आत्मसात कर हम सभी को अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री मनीष कश्यप श्री गोरधनलाल श्री शिवदास श्रीमती छोटी बाई प्रजापत (प्रॉस्पेक्ट नं. 931451)	मकान संख्या 93, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल क्षेत्रफल: 900	रुपये 1724111/- (रु. सत्रह लाख चौबीस हजार एक सौ ग्यारह मात्र)	07-12-2021	18-05-2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर प्रा. अधिकारी

दिनांक : 21-5-2026 कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा नोटिस

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता, गारंटर, बंधककर्ता को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और इसके बाद, IIFL-HFL ने दिनांक 29-दिसंबर-2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से, IIFL-HFL बैंक द्वारा उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ, साथ ही अंतर्निहित अचल संपत्ति, फीनिक्स आर्क लिमिटेड (पूर्व में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को सौंप दिए हैं, जो फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है - ट्रस्ट एफवाय 26-14

(फीनिक्स) सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए. अत:, उक्त आवंटन के मद्देनजर, फीनिक्स अब IIFL-HFL के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और फीनिक्स उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अपने अधिकारों और लाभों को लागू करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्मित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है.

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर 'जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे उल्लिखित तिथि से कब्जा कर लिया है.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री राधेश्याम चंदेल श्रीमती रेनू चंदेल (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10391108)	यूनिट संख्या-बी/एस 13, मंजिल संख्या 0, ईडब्ल्यूएस ब्लॉक, प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग 3, बंजाली, रतलाम, मध्य प्रदेश 457001, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल: 377.00, 377.00	रुपये 312446/- (रु. तीन लाख बारह हजार चार सौ छियालीस मात्र)	04-12-2025	18-05-2026
श्री लोकेन्द्र जैन, श्री कांति लाल जैन, श्रीमती आयुषी लोकेन्द्र जैन, श्रीमती मंजू बाला जैन (प्रॉस्पेक्ट नं. 983069)	प्लॉट संख्या 252 और 253, बालाजी आंगन, ग्राम-हातोद, इंदौर, मध्य प्रदेश, इंदौर 452001 का मध्य भाग (दक्षिण से दूसरा भाग) वर्ग फुट में: संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल 390	रुपये 1253816/- (रु. बारह लाख तिरेपन हजार आठ सौ सोलह मात्र)	04-12-2025	18-05-2026
श्री अंकित बुंदेला, श्रीमती हिमांशी बुंदेला, यतिका रेडीमेड वर्क (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10648022)	प्लॉट संख्या E 19 - प्रीमियम हाई लिंक - ग्रीन भाग B - ग्राम नैनोद - इंदौर - तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001 - भारत क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल: 420.00, 940.00, 940.00	रुपये 2746252/- (रु. सत्ताइस लाख छियालीस हजार दो सौ बावन मात्र)	09-10-2025	18-05-2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद फीनिक्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन फीनिक्स द्वारा उपर्युक्त राशि के साथ-साथ संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के प्रभार के अधीन होगा. ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं संपत्ति.

स्थान: इन्दौर, दिनांक 21-5-2026 हस्ता. अधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व में 'फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन क्रमांक-U67190MH2007PLC168303 वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वॉलेस टावर्स, 139/140/B/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे का चौराहा, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, 400057. दूरभाष: +91 02268492450.

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013.

सर्किल ऑफिस: 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) (उक्त उधारकर्ता(ओं)) को, उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं. उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीसीएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज भी देना होगा, जो उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय है. ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा सीजीसीएल को क्रमश: निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं.

स. क्र.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1	(ऋण खाता संख्या LNMEIND000010127 (पुराना) 80300005675383 (नया) (इंदौर शाखा) एमआईएस मां भगवती जनरल एंड फैंसी कॉर्नर (ऋणकर्ता) श्री राधे श्याम पटेल, श्रीमती संगीता पटेल (सह-ऋणकर्ता)	27.04.2026 रु. 20,25,231/- (दिनांक 02.04.2026)	प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें ज़मीन और बिल्डिंग है, प्लॉट नंबर 45 के पश्चिमी हिस्से में है, जिसका माप 600 वर्गफुट है. खसरा नंबर 546/02, कस्बा सनावद का हिस्सा, शिव मंदिर, इंदौर खंडवा डायवर्जन रोड, पश्चिम, निमाड़, जिला खरगांव, मध्य प्रदेश-451111 पर अभी और भविष्य में कंस्ट्रक्शन के साथ, घिरा हुआ है: पूरब: उस प्लॉट का बाकी हिस्सा, पश्चिम: सड़क, उत्तर: सड़क, दक्षिण: सड़क.
2.	(ऋण खाता संख्या 80400018175506 (पुराना) 80400018175506 (नया) (खरगौन शाखा) संजय महारू तिरमाले (ऋणकर्ता) श्रीमती ज्योति संजय तिरमाले, श्रीमती संगीता पटेल (सह-ऋणकर्ता)	27.04.2026 रु. 25,50,279 (दिनांक 02.04.2026 तक)	प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें ज़मीन और बिल्डिंग है, प्लॉट/मकान नंबर 253/1, जिसका माप 450 वर्गफुट है, पटवारी हल्का नंबर 12, ग्राम चाचरिया पाटी, तहसील सेंधवा और जिला बड़वानी, सेंधवा इंदौर, मध्य प्रदेश 452001. सीमा: पूर्व: पन्नालाल राधो का घर, पश्चिम: शांतिकला हिम्मत का घर, उत्तर: रोड, दक्षिण: कैलाश मालवीय का घर.

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत पूर्वोक्त परिसंपत्तियों को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा.

स्थान: इन्दौर और खरगौन **एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)**

दिनांक: 21/5/2026 **कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए**